



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122023-250605
CG-DL-E-12122023-250605

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 2023/अग्रहायण 21, 1945

No. 709]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 12, 2023/AGRAHAYANA 21, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2023

सा.का.नि. 892(अ).—दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा, जिन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव प्रकाशित करने का है, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित अनुसार एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि आधिकारिक राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है और जनता को उपलब्ध करा दी गई है उस तारीख से 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात उक्त मसौदा नियमों पर विचार किया जाएगा ;

उक्त मसौदा नियमों के संबंध में उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, श्री राम चरण मीणा, अवर सचिव, भारत सरकार, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन), कमरा नंबर 11 ए, 5वीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003 या rcmeena.79@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

मसौदा नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार.-** (1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में, नियम (15) में, उप-नियम (1) में, खंड (ज) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
"(ट) पोर्ट सेक्टर के लिए एक्सेसिबिलिटी मानक, जैसा कि पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. नंबर सीडी-11053/63/2021-कोऑर्ड, दिनांक 8 नवंबर, 2023 में निर्दिष्ट दिशानिर्देश।

[फा. सं. I-14002/15/2021-AIC]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट:-दिव्यांगजन अधिकार अधिकार नियम, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 591 (अ), दिनांक 15 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 849(अ), दिनांक 16th नवंबर, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan))****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th December, 2023

G.S.R. 892(E).—The following draft of certain rules to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Ram Charan Meena Under Secretary to the Government of India, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Room No 11 A, 5th Floor, Pandit Deen Dayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi, 110003 or by email at rcmeena.79@gov.in

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and extent.**-(1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2023.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule (15), in sub-rule (1), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-
“(k) Accessibility Standards for in Port Sector as specified in the notification of the Ministry of Port Shipping and Waterways, Government of India, vide number F. No. CD-11053/63/2021-Coord, dated the 8th November 2023.”

[F. No. I-14002/15/2021-AIC]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Note : The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 591(E), dated the 15th June, 2017 and was last amended vide G.S.R. 849 (E), dated the 16th November, 2023.